



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1001]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 21, 2010/वैशाख 31, 1932

No. 1001]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 21, 2010/VAISAKHA 31, 1932

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2010

आय-कर

का.आ. 1211(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80इक की उप-धारा (4) के खंड (iii) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (पाँचवाँ संशोधन) नियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 में, नियम 18ग में, उप-नियम (1) में, "2009" अंकों के स्थान पर, "2011" अंक रखे जाएंगे।

[अधिसूचना सं. 38/2010/फा. सं. 149/52/2010-एसओ(टीपीएल)]

विमल आनंद, अवर सचिव (टीपीएल-II)

टिप्पण :—मूल नियम अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन आय-कर (पहला संशोधन) नियम, 2008 द्वारा अधिसूचना सं. का.आ. 50(अ), तारीख 8 जनवरी, 2008 से किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st May, 2010

INCOME-TAX

S.O. 1211(E).—In exercise of the powers conferred by Section 295 read with clause (iii) of sub-section (4) of Section 80-IA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the Income-tax (5th Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962, in rule 18C, in sub-rule (1), for the figures "2009", the figures "2011" shall be substituted.

[Notification No. 38/2010/F.No. 149/52/2010-SO (TPL)]

VIMAL ANAND, Under Secy. (TPL-II)

Note :—The principal rules were published *vide* notification No. S.O. 969(E), dated the 26th March, 1962 and last amended by Income-tax (First Amendment) Rules, 2008, *vide* notification No. S.O. 50(E), dated the 8th January, 2008.